गोपनीय

संख्या:- जी0आई-35(1)आर/छ:-पु0-5-95-1262/87

प्रेषक,

के0के0बाजपेयी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उत्तर प्रदेश।

गृह(पुलिस)अनुभाग-5 लखनऊ: दिनांक: 10 मई, 1995

विषय:-विद्यमान लाइसेंस धारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को कुलांगत वस्तु के रूप में निषिद्ध बोर/अर्द्ध स्वचालित हथियारों की मंजूरी के बारे में अनुदेशों की समीक्षा।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-जी0आई01 आर/आठ-5-1262-87, दिनांक 9 मार्च 1990 के कम में गृह मंत्रालय भारत सरकार से प्राप्त पत्रांक -5-11019/234/94, -आर्म्स, दिनांक 28 फरवरी, 1995 की एक प्रति आपके सूचनार्थ एवं मार्गदर्शनार्थ भेजने का मुझे निदेश हुआ है। भविष्य में भारत सरकार के इस पत्र में निहित निर्देशों को ध्यान में रखकर आवेदन पत्र शासन को संस्तुति सहित भेजे जायें।

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय,

(के0के0बाजपेयी)
उप सचिव।

प्रतिलिपि

गोपनीय

संख्या-5-11019/234/94-आर्म्स

भारत सरकार,

गृह मंत्रालय

सेवा में,

सचिव,

सभी राज्य सरकारें एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन।

न0दि0-110001 दिनांक 28.2.95

विषयः-विद्यमान लाइसेंस-धारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को कुलांगत वस्तु के रूप में निषिद्ध बोर/अर्द्ध स्वचालित हथियारों की मंजूरी के बारे में अनुदेशों की समीक्षा।

महोदय,

इस मंत्रालय के दिनांक 28 सितम्बर, 1988 के परिपत्र संख्या-5-11019/1/88 आर्म्स के तहत प्रतिपादित मौजूदा नीति के अनुसार केवल निम्न प्रकार के मामलों में निषिद्ध बोर /अर्द्ध स्वचालित हथियार लाइसेंस मंजूर किए जाते हैं :-

(1) उन रक्षा कर्मियों को, जिन्हें ऐसे हथियार आवंटित किये गये थे।

(2) मृतक लाइसेंस-धारियों के उन कानूनी उत्तराधिकारियों को जो भावनात्मक आधार पर ऐसे हथियारों को रखना चाहते हैं।

2- इस मंत्रालय में निषिद्ध बोर लाइसेंस धारियों के जीवन काल के दौरान भावनात्मक आधार पर कानूनी उत्तराधिकारियों को नए लाइसेंस मंजूर करने के अनुरोध प्राप्त होते आ रहे हैं। इस पहलू पर मंत्रालय में सावधानी पूर्वक विचार किया गया और निम्नलिखित श्रेणियों के लिये लाइसेंसधारियों के जीवनकाल के दौरान कानूनी उत्तराधिकारियों को नये निषिद्ध बोर लाइसेंस मंजूर करने के अनुरोधों पर पर विचार करने का निर्णय लिया गया है।

(1) जहाँ लाइसेंस-धारी ने हथियार को काफी लम्बी अवधि अर्थात लगभग 25 वर्ष या इससे अधिक समय तक अपने पास रखा हो।

(2) जब लाइसेंस-धारी की आयु 70 वर्ष की हो जाय तथापि उपर्युक्त श्रेणियों को नए लाइसेंस मंजूर करना निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:-

1. हाथियार केवल कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तान्तरणीय होना चाहिए।

2. व्यक्ति को लाइसेंस प्राप्तकरने का पास होना चाहिए और उस हाथियार को चलाने योग्य होना चहिए जिसे उसको हस्तांतरण किया जाना है।

3. जो लाइसेंसधारी अपने कानूनी उत्तराधिकारियों के हित में लाइसेंस त्याग देता है वह हस्तान्तरण के बाद न ये लाइसेंस के लिए पात्र नहीं होगा।

3- यह निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर भारत सरकार को भेजे जाने से पूर्व राज्यसरकारों / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा पूरी-पूरी सावधानी से विचार किया जाना चाहिए। आवेदन पत्र राज्य सरकार / संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की विशेष टिप्णीयों / सिफारिशों तथा निर्धारित साविधिक प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद अपेक्षित दस्तावेजों के साथ भारत सरकार को प्रस्तुत किये जांए।

4- कृपया पत्र की पावती भेजें

प्रेषण के लिए प्राधिकृत

ह0

(रे 0 प्रशाद)
अनुभाग अधिकारी

ह/0(ए0एस0अहालुवालिया)
अवर सचिव, भारत सरकार।